

(e) The members of the delegations are selected keeping in view their knowledge of and expertise in the subject matters of the conferences etc.

**Ban on investments by Indian Citizens Abroad**

3504. SHRI VAYALAR RAVI: Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have banned Indian citizens staying outside India to invest in any of the prosperous Industrial organization in India;

(b) if so, what are the reasons, and

(c) whether Government propose to lift this ban; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL): (a) Non resident Indians are permitted to invest up to 20 per cent in the new issues of new companies in selected industries. This facility is not open for investment in the shares of existing companies.

(b) to (d). The intention of the Government is to facilitate inflow of foreign exchange to promote growth of new industries. Government do not find sufficient justification to modify this policy.

**Foreign Exchange earned from Tourist Traffic**

3505. SHRI JANARDHANA POOJA, RY: Will the Minister of TOURISM TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) the amount of foreign exchange earned from tourist traffic during the last three years; and

(b) the steps taken by Government to attract more tourist to the country?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURU-SHOTTAM KAUSHIK): (a) The amount of foreign exchange earned from tourist traffic during the last 3 years is estimated as follows:—

| Year | Foreign exchange earnings |
|------|---------------------------|
| 1976 | Rs. 225 crores            |
| 1977 | Rs. 283 crores            |
| 1978 | Rs. 330 crores            |

(b) In addition to the existing facilities, the following are being provided to attract more tourists:—

(i) Major improvements are being made at the four international airports and clearance formalities have been simplified.

(ii) Facilities for water sports, trekking, etc. for youth are being developed.

(iii) Inexpensive, clean and comfortable accommodation is being provided through the construction of Janata hotels for budget-minded international tourists.

(iv) Introduction of direct air-service with more frequency between West Asia and Trivandrum has helped to increase the flow of tourists to South India.

श्री बैंकटेल वेपर एण्ड बोर्डेल (प्राइवेट) लिमिटेड, बिला मडुरे द्वारा उत्पादन शुल्क, सीमाशुल्क तथा आयकर की शरायती

3506. श्री हुक्म चन्म कछवाय : क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करे कि :

(क) श्री बैंकटेल वेपर एण्ड बोर्डेल (प्राइवेट) लिमिटेड पुष्पपुर गाँव, पलानी तालुक, जिला मडुरे, स्वामीनाथपुरम, डाकघर भाड्राडुकुलम-642113 ने गत तीन वर्षों में उत्पादन शुल्क, सीमाशुल्क तथा आयकर की कितनी राशि शरा की है और उन पर आयकर की कितनी राशि बकाया है; और

(ख) इस कर्म में इसके धारम्भ से अब तक, वर्ष-वार कितनी राशि का पूंजी-निवेश किया गया है और इस कर्म में बागीघार कितने हैं और बागीघारों में अब

तक धायकर की कितनी राशि का भुगतान किया है तथा वे धन्य जिन उद्योगों तथा व्यापारों में भागीदार हैं उनके नाम क्या हैं और उनमें कितनी राशि का पूंजी निवेश किया है तथा उन पर गत तीन वर्षों की धायकर की कितनी राशि बकाया है ?

बिल मंत्रालय में राधय भंडारी (श्रीमूलकार/उत्साह) :  
(क) जहाँ तक श्री बैंकटेश पेपर एण्ड बोर्डिंग (प्रा०) लिमिटेड, (गांव-पुष्पपुर, तालुका-पलानी) जिला मद्रा, स्वामीनाथपुरम्, डाकघर-भाड़ाकुलम्-642113 द्वारा पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में की गई सीमा-शुल्क की धरायगी के बारे में सूचना का सम्बन्ध है, उसे प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है, क्योंकि किसी धारायतकर्ता/निर्यातकर्ता विशेष द्वारा धरायत किया गया सीमा-शुल्क का रिकार्ड वर्षवार नहीं रखा जाता।

प्रश्न में मांगी गई धन्य सूचना एकत्रित की जा रही और यथासंभव शीघ्र मदन-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) यह पता चला है कि श्री बैंकटेश पेपर एण्ड बोर्डिंग (प्रा०) लिमिटेड, (गांव-पुष्पपुर, तालुका-पलानी) जिला मद्रा, स्वामीनाथपुरम्, डाकघर-भाड़ाकुलम्-642113 एक कम्पनी है जो कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत है और इस प्रकार इसका कोई भागीदार होने का प्रश्न ही नहीं उठता। विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्य-विभाग) के पास इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार उक्त कम्पनी के पंजीकरण की तारीख 10 अप्रैल 1974 है। इसमें लगायी गई पूंजी के वर्षवार व्योरे, एकत्रित किए जा रहे हैं और यथा संभव शीघ्र सदन-पटल पर रख दिए जायेंगे।

धरारावती श्री बैंकटेश पेपर लिस् लि०, तमिलनाडु द्वारा उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क और धायकर का भुगतान

3507. श्री हुकम चन्द कछाय : क्या उप प्रधानमंत्री तथा बिल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान धरारावती श्री बैंकटेश पेपर लिस् लि०, पो० प्रा० उदयलपेट मदायकुलम् (तमिलनाडु) ने उत्पादक शुल्क, सीमा शुल्क और धायकर के रूप में कितनी धराराशि का भुगतान किया और उन पर धायकर की कितनी धराराशि बकाया है; और

(ख) इस फर्म की स्थापना से अब तक वर्ष-वार इसमें कितनी धराराशि लगाई गई है और इस फर्म के भागीदारों की संख्या कितनी है और उक्त भागीदारों द्वारा धायकर के रूप में अब तक कितनी धराराशि का भुगतान किया गया है और उन धन्य उद्योगों और व्यापारिक कर्मों के नाम क्या हैं जिनमें वे भागीदार हैं और इनमें से प्रत्येक द्वारा

उनमें कितनी धराराशि लगाई गई है और गत तीन वर्षों के बारे में उन पर धायकर की कितनी राशि बकाया है ?

बिल मंत्रालय में राधय भंडारी (श्रीमूलकार/उत्साह) : (क) जहाँ तक धरारावती श्री बैंकटेश पेपर लिस् लिमिटेड डाकखाना उदयलपेट, भाड़ाकुलम् (तमिलनाडु) द्वारा पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष की गई सीमाशुल्क की धरायगी के बारे में सूचना का सम्बन्ध है, उसे प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है, क्योंकि किसी भी धारायतकर्ता/निर्यातकर्ता द्वारा धरायत किया गया सीमा शुल्क का रिकार्ड वर्ष-वार नहीं रखा जाता है।

प्रश्न में मांगी गई धन्य सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जायगी।

(ख) यह पता चला है कि धरारावती श्री बैंकटेश पेपर लिस् लिमिटेड, डाकखाना उदयलपेट, भाड़ाकुलम् (तमिलनाडु) एक कम्पनी है जो कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है, और इस प्रकार उसके कोई भागीदार होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस समय विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी-का विभाग) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, उक्त कम्पनी के पंजीकरण की तारीख 4 जनवरी, 1960 है। इसमें निवेश की गई पूंजी के वर्ष-वार व्योरे इकट्ठे किये जा रहे हैं और यथा संभव शीघ्र सदन-पटल पर रख दिये जायेंगे।

बालकृष्ण पेपर लिस् लिमिटेड, बम्बई द्वारा उत्पादक शुल्क, सीमा शुल्क तथा धायकर की धरायगी

3508. श्री हुकम चन्द कछाय : क्या उप प्रधानमंत्री तथा बिल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बालकृष्ण पेपर लिस् लिमिटेड नागरदास रोड धराराधेरी ईस्ट बम्बई ने गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादक शुल्क, सीमा शुल्क तथा धायकर के रूप में कितनी राशि धरा की और उनकी और धायकर की कितनी राशि बकाया है; और

(ख) इस फर्म में इसकी स्थापना के समय से अब तक वर्ष-वार कितनी राशि का निवेश किया गया, इसके भागीदारों की संख्या कितनी है और भागीदारों ने अब तक कितना धायकर धरा किया है और धन्य उन उद्योगों तथा धारायारियों के क्या नाम हैं जिनमें वे भागीदार हैं और उनमें उन्होंने कितना निवेश कर रखा है और उनकी और गत तीन वर्षों में कितना धायकर बकाया है ?